न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर 'मसूदा जिला अजमेर राज0

राजस्व मु0नं0 29/2014

1. श्रीमति मोना पत्नी श्री महावीर सिहँ राजपूत निवासी– केसरपुरा ग्राम पंचायत बाडी तहसील – बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र बालूराम जाति– तेली निवासी– सिन्धी कॉलोनी ,बिजयनगर जिला अजमेर
2. भंवर पुत्र नाथू खाती उम्र बालिग
3. रामकरण पुत्र श्री नाथू खाती अप्रार्थी सं0 2 व 3 निवासीगण– केसरपुरा ग्राम पंचायत बाडी तहसील–बिजयनगर जिला अजमेर राज0 ।
4. बालू पुत्र देवा ब्राहम्ण निवासी– जालिया द्वितिय तहसील–बिजयनगर

5.राज0सरकार जरीये तहसीलदार–बिजयनगर तहसील–बिजयनगर जिला–अजमेर ।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

दिनांक :– 23/5/15

इस प्रार्थना–पत्र मैं प्रार्थिया ने सांराशतः निवेदन किया है कि ग्राम केसरपुरा पटवार क्षैत्र खूटिया भू0अ0नि0 क्षैत्र जालिया–2 तहसील–बिजयनगर स्थित आराजी ख0न0 600/ 6667 रकबा 04–17–00 बीघा प्रार्थिया की खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है तथा ख0न0 600/668 रकबा 04 बीघा भूमि उसने गोपाललाल वल्द धन्नालाल कौम प्रजापत को बेचान कर दी है। जिसका दाखिल खारिज भी केता के नाम हो चुका है । इस प्रार्थना–पत्र में इसलिए लिया गया है कि बेची गई भूमि को प्रथक से राजस्व नक्शे में तरमीम नही की हुई है।

प्रार्थिया की आराजी ख0न0 600/6667 मै हमेशा दखलदांजी करते रहते है। तहसीलदार जी के सीमाकंन को नही मानते इसलिए यह प्रार्थना–पत्र लाना पड़ा है । सीमाझान करवाकर पत्थरगढी करवाने की कृपा करावे अन्यथा अप्रार्थीगण प्रार्थिया को बेदखल कर देगें।

आज मेगा लोक अदालत कैम्प मुकाम गोडियानापर प्रार्थिया एवं अप्रार्थिया सं0 1 सत्यनारायण उपस्थित । अप्रार्थी 2 भँवर व 3 रामकरण अनुपस्थित । उन्हे आवाजे लगाने पर कोई उपस्थित नही आया । अतः उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि आराजी ख0न0 600/6667 प्रार्थिया की स्वंय की खातेदारी की भूमि है। तथा ख0न0 600/668 गोपाललाल प्रजापत की खातेदारी की भूमि है लेकिन नक्शा किश्तवार के अनुसार ख0न0 600 एक ही खसरा नंबर है जिसके उक्त खसरो की रकबो अनुसार तरमीम नही की हुई है। उपस्थित पक्षकारान ने लोक अदालत की मंशानुसार सदभाविक रूप से प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिए सहमत है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र प्रार्थिया स्वीकार योग्य पाया जाता है । अतः स्वीकार किया जाता है । तथा तहसीलदार –बिजयनगर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाते है । कि वे मौका केसरपुरा में प्रश्नगत भूमि के मौके पर जाकर ख0न0 600/6667 का सीमाकंन कर पत्थरगढी करे तथा बाद सीमाकंन ख0न0 600/6667 व 600/668 की नक्शे किश्तवार मै पृथक–पृथक तरमीम कायम करे।

आदेश आज दिनांक 23/5/15 को लोक अदालत केम्प मुकाम [illegible] पर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 14:37:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: